राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांक प. 20 (1) सा.प्र. / 4 / 2017 जयपुर, दिनांक 21/7/17

मुख्य अभियन्ता (भवन)
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– वर्ष 2017–18 हेतु सामान्य प्रशासनिक भवन (गैर आवासीय) के वार्षिक रख रखाव, मरम्मत आदि हेतु राशि का आवंटन।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक एफ. 56 (Gen. 118) Sec.II/2017-18/D-1204 दिनांक 04.07.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निर्देशानुसार लेख है कि वर्ष 2017–18 के लिए सामान्य प्रशासनिक भवनों (गैर आवासीय) हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को विभिन्न सिविल एवं विद्युत संबंधी मरम्मत / संधारण कार्यों के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट मद 2059–80–053–(01)–[01]–21 मरम्मत व संधारण (राज्य निधि) में उपलब्ध **147.72 लाख राशि** का आवंटन भवनवार प्राथमिकता के आधार पर निम्नानुसार उल्लिखित शर्तों के अधीन किया जाता है:–

क.सं.	विश्राम भवन	राशि लाखों में	क.सं.	विश्राम भवन	राशि लाखों में
1.	बीकानेर हाउस नई दिल्ली	-	22.	हनुमानगढ	3.00
2.	बीकानेर हाउस नई दिल्ली के परिसर में स्थित आवास	3.00	23.	जयपुर	7.00
3.	राजस्थान हाउस नई दिल्ली	7.00	24.	जैसलमेर	3.00
4.	राजस्थान हाउस नई दिल्ली के परिसर में स्थित आवास	3.00	25.	जालौर	2.00
5.	जोधपुर हाउस नई दिल्ली	7.00	26.	झालावाड	3.00
6.	जोधपुर हाउस नई दिल्ली के परिसर मे स्थित आवास	3.00	27.	झुझुनू	3.00
7.	अजमेर	5.00	28	जोधपुर	4.00
8.	अलवर	4.00	29.	कोटा	4.00
9.	बांसवाडा	3.00	30.	नागौर	3.00
10.	बारां	3.00	31.	पाली	2.50
11.	बाडमेर	3.00	32.	सवाई माधोपुर	3.00
12.	भरतपुर	4.00	33.	सिरोही	3.00
13.	भीलवाड़ा	3.00	34.	सीकर	3.00
14.	बीकानेर	3.00	35.	टोंक	3.00
15.	बून्दी	3.00	36.	उदयपुर	4.00
16.	चित्तौडगढ	3.00	37.	राजसमद	3.00
17.	चूरू	3.00	38.	करौली	2.00
18.	डूंगरपुर	2.00	39.	प्रतापगढ	2.00
19.	दौसा	4.00	41.	ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर	5.22
20.	धौलपुर	3.00	42.	सामुदायिक केन्द्र गांधीनगर	3.00
21.	श्रीगंगानगर	3.00	43.	माउण्ट आबू	10.00
				कुल योग	**147.72**

1. विश्राम भवनों के लिये नोडल अधिकारी संबंधित विश्राम भवन के प्रबन्धक है। अतः विश्राम भवनों हेतु आवंटित राशि के कार्यों के लिये संबंधित विश्राम भवन प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार उनकी सहमति से राशि का व्यय उसी विश्राम भवन पर किया जावे।
2. विद्युत कार्यों के लिए उक्त आवंटित राशि में से 20 प्रतिशत राशि आरक्षित रखी जावे।
3. विश्राम भवनों में गत वर्ष किये गये कार्यो पर व्यय का विवरण एवं इस वर्ष के व्यय के विवरण भवनवार एवं कार्यवार संबंधित विश्राम भवन के प्रबन्धक को एवं इस विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जावें।
4. आवासीय भवनों के मरम्मत/संधारण का कार्य इस विभाग द्वारा जारी नीति एवं निर्देशों के अनुसार किया जावें।
5. व्यय में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की पालना की जावे तथा उक्त कार्य के लिये किये जाने वाले व्यय हेतु समस्त नियम, निर्देश एवं सुस्थापित प्रक्रिया की अक्षरशः पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

Sd
(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव (क)

प्रतिलिपि :–

1 प्रमुख आवासीय आयुक्त, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली।
2 संभागीय आयुक्त, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3 समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
4 अधीक्षण अभियन्ता (भवन) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि गत वित्तीय वर्ष के दौरान आंवटित भवनवार बजट का कार्यवार व्यय विवरण भी अविलम्ब प्रस्तुत किया जावें।
5 समस्त संबंधित अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
6 समस्त प्रबधक, विश्राम भवन, राजस्थान।
7 प्रबन्धक, राजस्थान हाउस/जोधपुर हाउस नई दिल्ली।
8 प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, गांधी नगर, जयपुर।
9 रक्षित पत्रावली।

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव (क)